प्रेस विज्ञप्ति

29.04.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने गोवा भूमि हड़पने (गोवा लैंड ग्रैब) के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) दिनांक 25.04.2025 के माध्यम से गोवा में बर्देज़ तालुका (कालंगुट, असगाओ, अंजुना, नेरुल और पारा सहित) में स्थित 24 अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है, जिनकी कीमत 193.49 करोड़ रुपये (बाजार मूल्य) है। यह इस मामले में दूसरी अनंतिम कुर्की है। इससे पहले, ईडी ने 2023 में 39.24 करोड़ रुपये मूल्य की 31 संपत्तियां कुर्क की थीं, जिसकी पुष्टि विद्वान न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (पीएमएलए), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 15.04.2024 के आदेश के माध्यम से की गई है।

ईडी ने जालसाजी, धोखाधड़ी और अचल संपत्तियों को हड़पने में शामिल आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ गोवा में धोखाधड़ी और अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण के संबंध में गोवा पुलिस (एसआईटी द्वारा जांच - जमीन कब्जा) द्वारा दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि जालसाजों ने मृतक व्यक्तियों या पूर्वजों के नाम पर जाली दस्तावेज/डीड बनाए। इन जाली दस्तावेजों को असली के रूप में इस्तेमाल करते हुए, उन्होंने धोखाधड़ी से अपने नाम या सहयोगियों के नाम गोवा सरकार द्वारा बनाए गए भूमि अभिलेखों में दर्ज कर दिए। इसके बाद, इन अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को या तो तीसरे पक्ष को बेच दिया गया, जिससे अपराध की आय उत्तपन्न हुई, या बिना किसी वास्तविक भुगतान के नकली बिक्री विलेखों के माध्यम से सहयोगियों को हस्तांतरित कर दिया गया।

वर्तमान पीएओ में कुर्क की गई 24 संपत्तियों में तीसरे पक्ष को बेची गई संपत्तियां, फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सहयोगियों को हस्तांतरित संपत्तियां तथा बाद में पहचानी गई अन्य संपत्तियां शामिल हैं, जो बारदेज़ तालुका के प्रमुख पर्यटक स्थलों में स्थित हैं।

इस कुर्की के साथ, गोवा भूमि हड़पने के मामले में कुर्क की गई संपत्तियों का कुल मूल्य अब तक **232.73 करोड़ रुपये** हो गया है। दिनांक 12.04.2024 को विद्वान विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मापुसा, गोवा के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई है, जिन्होंने इसका संज्ञान लिया है। आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।